

प्रकरण क्रमांक :- /2017-18 निगरानी

म/निगरानी/शिवपुरी/भू.सं/2017/4724

बद्रीप्रसाद(मृत) द्वारा वारीसान

- 1- बृजमोहन गुप्ता पुत्र श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता आयु 52 वर्ष
- 2- भावेश पुत्र बद्रीप्रसाद गुप्ता आयु 47 वर्ष
- 3- योगेश पुत्र बद्रीप्रसाद गुप्ता आयु 43 वर्ष निवासीगण वन विभाग बेरियल के सामने करैरा झांसी शिवपुरी रोड करैरा जिला शिवपुरी ..... प्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट्स

बनाम

- 1- रमेश चंद्र पुत्र रामचरण जाटव आयु 47 वर्ष
  - 2- रामस्वरूप पुत्र रामचरण जाटव आयु 42 वर्ष
  - 3- मेहरबान पुत्र प्रीतम जाटव आयु 37 वर्ष
  - 4- दशरथ पुत्र प्रीतम जाटव आयु 32 वर्ष
  - 5- अशोक पुत्र प्रीतम जाटव आयु 42 वर्ष
- समस्त निवासीगण नई तहसील के सामने करैरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी
- 6- म0प्र0शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय जिला शिवपुरी म0प्र0 ..... रेस्पोंडेंट्स/अपीलान्ट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 22.01.2014 प्रकरण क्रं. 155/12-13/अपील पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.) व उन्मान रमेश चंद्र आदि बनाम बद्रीप्रसाद

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी निम्न लिखित प्रस्तुत है :-

3

न्यायालय राजस्व गण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4724

बद्रीप्रसाद मृत वारिसान विरुद्ध रमेशचंद्र आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिगाथकों आदि के हस्ताक्षर
15/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 155/2012-13/अपील में पारित आदेश दिनांक 22/01/2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(आर0के0 जैन) सदस्य 15/5/19</p>	